मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

शुक्रवार, दिनांक 1 अप्रैल, 2011 (चैत्र 11, 1933)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.34 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित में से 15 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये। प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अन्तर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 107 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 114 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

(श्री दिलीप सिंह गुर्जर तथा श्री रामलाल मालवीय, सदस्यगण द्वारा किसानों को मुआवजा नहीं मिलने विषयक तारांकित प्रश्न संख्या 3 (क्रमांक 6943) पर शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया गया)

2. गृह मंत्री का विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस व्यवस्था सम्बन्धी वक्तव्य

शून्यकाल में कांग्रेस पक्ष के सदस्यों ने दिनांक 31 मार्च, 2011 को नीलम पार्क भोपाल में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज का मामला उठाया. श्री उमाशंकर गुप्ता, गृह मंत्री द्वारा धरना-प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा की गई व्यवस्था संबंधी वक्तव्य दिया गया। चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, उप नेता प्रतिपक्ष द्वारा प्रतिक्रिया व्यक्त की गई।

(कांग्रेस पक्ष के सदस्यगण द्वारा शासन के वक्तव्य से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया गया)

3. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्रीमती गीता रामजीलाल उईके, सदस्य की घोड़ाडोंगरी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रारम्भ न होने,
(2) श्री रामखेलावन पटेल, सदस्य की सतना के अमरपाटन में फर्जी नाम से क्रेशर संचालित होने,
(3) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, सदस्य की प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली न होने से बैंकों द्वारा भुगतान न होने,
(4) श्री भगत सिंह नेताम, सदस्य की बालाघाट के बैहर में राइजर पाइपों की कमी के कारण पेयजल संकट होने,
(5) श्री मदन कुशवाह, सदस्य की ग्वालियर के ग्राम गिरवाई में डकैती होने,
(6) श्री रणवीर सिंह जाटव, सदस्य की भोपाल के साकेत नगर में अवैध रूप से भवनों का निर्माण किये जाने,
(7) श्री संजय पाठक, सदस्य की प्रदेश के स्कूली छात्र छात्राओं को गणवेश के बदले नगद भुगतान होने,
(8) श्री आरिफ अकील, सदस्य की सीहोर जिले के ग्राम लावाखेड़ी में पत्थर का अवैध उत्खनन होने,
(9) श्री लखन घनघोरिया, सदस्य की जबलपुर में धारा 144 से प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न होने,
(10) श्री नारायण प्रजापति, सदस्य की विधान सभा क्षेत्र बण्डा के पाला पीड़ितों को मुआवजा न मिलने,
(11) श्री पारस सकलेचा,सदस्य की आयुक्त, पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय भोपाल द्वारा बिना अनुमति फिल्म बनाने,
(12) श्री रामदयाल अहिरवार, सदस्य की चांदला स्थित विद्यालय में पेयजल व्यवस्था न होने तथा
(13) श्री ओमकार सिंह मरकाम, सदस्य की जबलपुर से डिण्डोरी मार्ग के खराब होने

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं।

4. ध्यानाकर्षण

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि आज की कार्यसूची में 56 ध्यानाकर्षण सूचनाओं को उनके विषय की गंभीरता और महत्व को देखते हुए सम्मिलित किया गया है। विधान सभा नियमावली के नियम 138 (3) को शिथिल करके यह प्रक्रिया निर्धारित की गई है कि इनमें क्रमशः प्रथम 10 ध्यानाकर्षण सूचनाओं को संबंधित सदस्यों के द्वारा सदन में पढ़ी जाने के पश्चात् संबंधित मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जायेगा तथा उनके संबंध मे सदस्यों द्वारा नियमानुसार प्रश्न पूछे जा सकेंगे। उसके बाद की अन्य सूचनाओं के संबंध में प्रक्रिया यह होगी कि वे सूचनाएं सभा में उपस्थित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जायेंगी तथा उनके संबंध में लिखित वक्तव्य संबंधित मंत्री द्वारा पटल पर रखा माना जाएेगा। लिखित वक्तव्य की एक-एक प्रति सूचना देने वाले सदस्यों को दी जयेगी। उपस्थित सदस्यों की सूचनाएं तथा उन पर संबंधित मंत्री का वक्तव्य कार्यवाही में मुद्रित किया जायेगा।

सदन द्वारा सहमति व्यक्त की गई।

(1) श्री अजय सिंह, सदस्य ने इंदौर जिले की महू तहसील के ग्रामों की उपजाऊ भूमि आवासीय कालोनी हेतु अधिग्रहीत किये जाने की ओर संसदीय कार्य मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री बृजेन्द्र सिंह, सदस्य ने टीकमगढ़ जिले के निवाड़ी तहसील स्थित मंदिर के पास खनिज उत्खनन से पेयजल प्रदूषित होने की ओर संसदीय कार्य मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(3) श्री आरिफ अकील, सदस्य ने सीहोर जिले के इछावर तहसील अन्तर्गत शासकीय राशि व सांसद निधि का दुरुपयोग होने की ओर योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री राघवजी, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(4) डॉ. गोविन्द सिंह, श्री रामनिवास रावत, सदस्यगण ने भिण्ड जिले में सरपंचों को पंचायत अधिनियम के तहत नोटिस जारी किये जाने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री गोपाल भार्गव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(डॉ. गोविन्द सिंह, सर्वश्री रामनिवास रावत तथा ब्रजराज सिंह, सदस्यगण द्वारा शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया गया)

(5) श्री ध्रुवनारायण सिंह, सदस्य ने भोपाल नगर में चल रहे निर्माण कार्यों से वाहन दुर्घटनाएं होने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री बाबूलाल गौर, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(6) श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति, डॉ. निशिथ पटेल तथा श्री संजय पाठक, सदस्यगण, चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, उप नेता प्रतिपक्ष ने प्रदेश के विद्यालयों में छात्र-छात्राओं को गणवेश एवं साईकिल का वितरण न कर नगद राशि दिये जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री तथा श्रीमती अर्चना चिटनीस, स्कूल शिक्षा मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(7) श्री अजय यादव, सदस्य ने टीकमगढ़ जिले में रेत का अवैध उत्खनन किये जाने की ओर संसदीय कार्य मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(अपराह्न 12.58 से 2.34 बजे तक अन्तराल)
अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

5. अध्यक्षीय घोषणा

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि मध्यप्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 23 के अनुसार शुक्रवार की बैठकों के अंतिम ढाई घन्टे गैर सरकारी सदस्यों के लिए नियत हैं। अतः आज की कार्यसूची के पद 4 में उल्लेखित कार्य पूर्ण होने के पश्चात् गैर सरकारी सदस्यों के कार्य लिए जाएंगे।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

6. ध्यानाकर्षण (क्रमशः)

(8) श्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, सदस्य की अनुपस्थिति के कारण धार जिले के ग्राम तिलगारा में दुर्घटना से कई व्यक्तियों की मौत होने सम्बन्धी ध्यानाकर्षण सूचना प्रस्तुत नहीं की गई।

(9) श्रीमती साधना स्थापक, सदस्य ने नरसिंहपुर जिले के ग्राम पंचायत बसुरिया में अनियमितता होने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री गोपाल भार्गव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(10) श्री आत्माराम पटेल, सदस्य ने खरगौन जिले में फर्जी वित्त कंपनियों द्वारा लोगों के साथ धोखाधड़ी किये जाने की ओर वित्त मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, कार्यसूची के पद 3 के उपपद (11) से (56) तक के सदस्यों की निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचनाएं तथा उन पर संबंधित मंत्रीगण द्वारा वक्तव्य पढ़े माने गए -

(11) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, सदस्य की मंदसौर जिले के ग्राम नौगांव के कृषकों को रसोई गैस उपलब्ध न कराये जाने संबंधी सूचना तथा राज्यमंत्री खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण का वक्तव्य।

(12) श्री भगवान सिंह राजपूत, सदस्य की रायसेन जिले के पिपरिया रोड़ पर सड़क दुर्घटना में चार मजदूरों की मौत होनेसंबंधी सूचना तथा गृह मंत्री का वक्तव्य।

(13) श्री रामलाल मालवीय, सदस्य की देवास जिले के नगर पंचायत पीपलराव के आरक्षित वर्ग के अध्यक्ष का पद सामान्य वर्ग से भरे जाने संबंधी सूचना तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का वक्तव्य।

(14) श्री परसराम मुद्‌गल, सदस्य की मुरैना जिले के जौरा में एक व्यक्ति की हत्या किये जाने संबंधी सूचना तथा गृह मंत्री का वक्तव्य।

(15) सर्वश्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा तथा आरिफ अकील, सदस्यगण की मंदसौर जिले में जिस्मफरोशी के लिये बालिकाओं का अपहरण किये जाने संबंधी सूचना तथा गृह मंत्री का वक्तव्य।

(16) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, उप नेता प्रतिपक्ष तथा श्री आरिफ अकील, सदस्य की भोपाल विकास योजना के प्रारूप का प्रकाशन न होने संबंधी सूचना तथा आवास एवं पर्यावरण मंत्री का वक्तव्य।

(17) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य की टीकमगढ़ में सिंधी परिवारों के मकान तोड़े जाने संबंधी सूचना तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का वक्तव्य।

(18) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, उप नेता प्रतिपक्ष तथा श्री संजय पाठक, सदस्य की मध्यप्रदेश महिला वित्त विकास निगम के अन्तर्गत तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में अनियमितता किये जाने संबंधी सूचना तथा राज्यमंत्री महिला एवं बाल विकास का वक्तव्य।

(19) श्री ध्रुवनारायण सिंह, सदस्य की भोपाल स्थित महाविद्यालयों में कश्मीरी छात्रों को प्रवेश से आतंकी हमलों की शंका होने संबंधी सूचना तथा गृह मंत्री का वक्तव्य।

(20) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की दतिया स्थित वेयर हाऊस के गोदाम से खाद, बीज गायब होने संबंधी सूचना तथा सहकारिता मंत्री का वक्तव्य।

(21) सर्वश्री यादवेन्द्र सिंह तथा अजय यादव, सदस्यगण की टीकमगढ़ जिले के ग्राम खरों में बेरोजगार कृषक द्वारा परिवार सहित आत्महत्या किये जाने संबंधी सूचना तथा गृह मंत्री का वक्तव्य।

(22) श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य की खाचरौद स्थित उप कोषालय से मूर्ति गायब होने संबंधी सूचना तथा गृह मंत्री का वक्तव्य।

(23) श्री गोविन्द सिंह राजपूत, सदस्य की सागर संभाग की कृषि उपज मंडियों में कृषि उपज की नीलामी न होने संबंधी सूचना तथा किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री का वक्तव्य।

(24) श्री आरिफ अकील, सदस्य की भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास कार्य योजना में गैस पीड़ितों के साथ भेदभाव किये जाने संबंधी सूचना तथा भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास मंत्री का वक्तव्य।

(25) श्री पुरूषोत्तम दांगी, सदस्य की इंदौर में बनी सलाईन के उपयोग से कई लोगों की मौत होने संबंधी सूचना तथा लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री का वक्तव्य।

(26) श्री आरिफ अकील, सदस्य की गैस पीड़ित बस्तियों में पेयजल हेतु आवंटित राशि का दुरूपयोग किये जाने संबंधी सूचना तथा भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास मंत्री का वक्तव्य।

(27) श्री बृजराज सिंह, सदस्य की श्योपुर जिले के ग्राम नयापुरा निवासी आदिवासी की भूमि को शासकीय भूमि के पट्टे निरस्त किये जाने संबंधी सूचना तथा राजस्व मंत्री का वक्तव्य।

(28) डॉ. कल्पना परुलेकर तथा श्री पुरूषोत्तम दांगी, सदस्यगण की प्रदेश के नगरीय क्षेत्र में मोबाईल टॉवरों से निकलने वाली रेडियो एक्टिव विकिरण से गंभीर बीमारी फैलने से उत्पन्न स्थिति संबंधी सूचना तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का वक्तव्य।

(29) श्री अरूणोदय चौबे, सदस्य की सागर जिले के वन परिक्षेत्र मालथौन अंतर्गत जल संरक्षण कार्य बंद किये जाने संबंधी सूचना तथा वन मंत्री का वक्तव्य।

(30) श्री प्रियव्रत सिंह, सदस्य की रामगंज मंडी-भोपाल रेल लाईन हेतु अधिगृहीत भूमि का मुआवजा न दिये जाने संबंधी सूचना तथा राजस्व मंत्री का वक्तव्य।

(31) श्री रणवीर सिंह जाटव, सदस्य, चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, उप नेता प्रतिपक्ष तथा श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति, सदस्य की भिण्ड जिले के मालनपुर स्थित केडबरी इंडिया लिमिटेड में कार्यरत श्रमिक के साथ मारपीट किये जाने संबंधी सूचना तथा गृह मंत्री का वक्तव्य।

(32) श्री श्रीकांत दुबे, सदस्य की मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम द्वारा कृषकों की उपज का भुगतान न किये जाने संबंधी सूचना तथा किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री का वक्तव्य।

(33) श्री पांचीलाल मेड़ा तथा डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्यगण की भोपाल में घटिया एवं कम तौल के सीमेंट की बिक्री संबंधी सूचना तथा राज्यमंत्री खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण का वक्तव्य।

(34) श्री पारस सकलेचा, सदस्य की रतलाम जिले में आदिवासियों की जमीन की बिक्री किये जाने संबंधी सूचना तथा राजस्व मंत्री का वक्तव्य।

(35) श्री प्रताप ग्रेवाल, सदस्य की धार जिले के सरदारपुर में जाति प्रमाण पत्र न बनाये जाने संबंधी सूचना तथा राजस्व मंत्री का वक्तव्य।

(36) डॉ. कल्पना परूलेकर, सदस्य की खंडवा जिले के पंधाना निवासी सूदखोरों पर पुलिस द्वारा कार्यवाही न किये जाने से कृषक द्वारा आत्महत्या किये जाने संबंधी सूचना तथा गृह मंत्री का वक्तव्य।

(37) श्री रामप्यारे कुलस्ते, सदस्य की मंडला जिले से रेत का उत्खनन कर परिवहन में गड़बड़ी किये जाने संबंधी सूचना तथा राज्यमंत्री खनिज साधन का वक्तव्य।

(38) श्री सुखदेव पांसे, सदस्य की बैतूल जिले के ससुद्रा पर स्थित परिवहन बैरियर पर अवैध वसूली किये जाने संबंधी सूचना तथा परिवहन मंत्री का वक्तव्य।

(39) श्री हितेन्द्र सिंह सोलंकी, सदस्य की इंदौर-खण्डवा राजमार्ग पर पुल की जर्जर हालत होने संबंधी सूचना तथा लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य।

(40) श्री प्रदीप अमृतलाल जायसवाल, सदस्य की बालाघाट-गोंदिया राजमार्ग पर परिवहन हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने संबंधी सूचना तथा राजस्व मंत्री का वक्तव्य।

(41) श्री के.पी. सिंह, सदस्य की शिवपुरी जिले के खनियाधाना नगर पंचायत में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मियों को वेतन न मिलने संबंधी सूचना तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का वक्तव्य।

(42) श्री आरिफ अकील, सदस्य की लाईफ लाईन के नाम से मशहूर कोलार पाईप लाईन, नगर निगम के कुप्रबंधन के कारण बार-बार फूटने संबंधी सूचना तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का वक्तव्य।

(43) श्री यादवेन्द्र सिंह, डॉ. गोविन्द सिंह तथा श्री अजय यादव, सदस्यगण की टीकमगढ़ जिले के पुरैनिया तालाब के ठेके देने में अनियमितता किये जाने संबंधी सूचना तथा मछली पालन मंत्री का वक्तव्य।

(44) श्री शंकरलाल तिवारी, सदस्य तथा चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, उप नेता प्रतिपक्ष की सतना जिले के ग्राम पंचायत चोरहटा के सरपंच द्वारा जे.सी.बी. मशीन से कार्य कराये जाने संबंधी सूचना तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का वक्तव्य।

(45) श्री रामकिशोर कांवरे, सदस्य की बालाघाट जिले के परसवाड़ा क्षेत्र में किये जा रहे कार्यों की मजदूरी का भुगतान न किये जाने संबंधी सूचना तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का वक्तव्य।

(46) सर्वश्री प्रद्युम्न सिंह तोमर तथा रामनिवास रावत, सदस्यगण की ग्वालियर में अतिक्रमण के नाम पर तोड़फोड़ किये जाने संबंधी सूचना तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का वक्तव्य।

(47) श्री आरिफ अकील, सदस्य की भोपाल में अपंजीकृत पैथोलाजी एवं क्लिनिक संचालित होने संबंधी सूचना तथा लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री का वक्तव्य।

(48) श्री संजय पाठक, सदस्य की कटनी जिले के ग्राम बनगवां में अनुसूचित जाति की महिलाओं एवं सरपंच को अपमानित किये जाने संबंधी सूचना तथा गृह मंत्री का वक्तव्य।

(49) सर्वश्री शांतिलाल धबाई तथा रामलाल मालवीय, सदस्यगण की उज्जैन जिले के बड़नगर एवं घट्टिया क्षेत्र को सूखाग्रस्त घोषित न किये जाने संबंधी सूचना तथा राजस्व मंत्री का वक्तव्य।

(50) श्रीमती इमरती देवी, सदस्य की डबरा में एक समुदाय विशेष के लोगों पर प्रकरण कायम किये जाने संबंधी सूचना तथा गृह मंत्री का वक्तव्य।

(51) श्री रामदयाल अहिरवार, सदस्य की छतरपुर जिले के चंदला स्थित विद्यालय प्रांगण में अतिक्रमण होने संबंधी सूचना तथा राजस्व मंत्री का वक्तव्य।

(52) श्री रामनिवास रावत, सदस्य की श्योपुर जिले के पटवारी हल्का सुमरेरा के आदिवासियों की जमीन का फर्जी पट्टा दिये जाने संबंधी सूचना तथा राजस्व मंत्री का वक्तव्य।

(53) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, सदस्य की पिपलौदा से एक युवक का अपहरण होने संबंधी सूचना तथा गृह मंत्री का वक्तव्य।

(54) श्री पुरुषोत्तम दांगी, सदस्य की भारत ओमान रिफायनरी से निकले अपशिष्टों को खेतों में डाले जाने संबंधी सूचना तथा राजस्व मंत्री का वक्तव्य।

(55) श्री मदन कुशवाह, सदस्य की ग्वालियर के ग्राम बेहट में एक महिला की हत्या होने संबंधी सूचना तथा गृह मंत्री का वक्तव्य।

(56) श्री के.पी. सिंह, सदस्य की शिवपुरी जिले के ग्राम तेरई में एक व्यक्ति की हत्या होने संबंधी सूचना तथा गृहमंत्री का वक्तव्य।

7. सम्पत्ति-विवरण का पटल पर रखा जाना

श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह, राज्यमंत्री, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, श्री देव सिंह सैयाम, राज्यमंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा श्री जय सिंह मरावी, राज्यमंत्री, वन एवं राजस्व द्वारा अपनी एवं परिवार की सम्पत्ति के विवरण पटल पर रखे गए।

8. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री हेमराज कल्पोनी, सदस्य की राजगढ़ जिले के -
- (क) ग्राम चांदूखेड़ा में पशु चिकित्सालय खोले जाने,
- (ख) ग्राम किला अमरगढ़ में पशु चिकित्सालय खोले जाने,
- (ग) ग्राम चांदूखेड़ा में पुलिस चौकी खोले जाने, तथा
- (घ) ग्राम सड़ियाकुआं में पुलिस चौकी खोले जाने,

(2) श्रीमती उमादेवी खटीक, सदस्य की दमोह जिले के -
- (क) ग्राम पटेरा में सी.सी. रोड निर्माण किये जाने,
- (ख) ग्राम बमुरिया में विद्युत सब स्टेशन बनाये जाने, तथा
- (ग) ग्राम देवरागढ़ी में सड़क निर्माण कराये जाने,

(3) श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, सदस्य की ग्वालियर नगर के -
- (क) शब्द प्रताप आश्रम में स्थित सिविल डिस्पेन्सरी के भवन का जीर्णोद्धार कराये जाने,
- (ख) वार्ड क्रमांक-3 फर्राश खाना घोसीपुरा में स्थित मदरसा में अतिरिक्त कमरों का निर्माण किये जाने, तथा
- (ग) बाबा कपूर से लधेड़ी तक सड़क निर्माण किये जाने,

(4) श्री राजेन्द्र फूलचंद वर्मा, सदस्य की देवास जिले के -
- (क) ग्राम कावड़ा से ग्राम जलोदिया तक सड़क निर्माण किये जाने,
- (ख) ग्राम दौलतपुरा से खरसी तक सड़क निर्माण किये जाने,
- (ग) ग्राम बीसाखेड़ी से ढाबला तक सड़क निर्माण किये जाने,
- (घ) ग्राम बाबई से ग्राम बोरखेड़ा तक सड़क निर्माण किये जाने, तथा
- (ङ) सोनकच्छ से ग्राम खरपड़ी तक सड़क निर्माण किये जाने,

(5) श्री अरविन्द सिंह भदौरिया, सदस्य की भिण्ड जिले के -

(क) विकासखण्ड अटेर के ग्राम कमई का पुरा, दिनपुरा, मघारा, हिम्मतपुरा, खिपोना, सालिगपुरा, समन्ना एवं सांकरी में हैण्डपंप खनन किये जाने, तथा

(ख) शासकीय प्राथमिक शाला फूप को हाई स्कूल में उन्नयन किये जाने,

(6) श्री लालजीराम मालवीय, सदस्य की शाजापुर जिले के -

(क) ग्राम तनौदिया में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने, तथा

(ख) ग्राम सुदवास में पुलिया निर्माण किये जाने,

(7) श्री पारस सकलेचा, सदस्य की भोपाल नगर के नरेला स्थित शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का महाविद्यालय में उन्नयन करने,

(8) श्री गिरिराज किशोर पोद्दार,सदस्य की कटनी जिले के ग्राम पोसरा के शासकीय माध्यमिक शाला का उन्नयन किये जाने,

(9) श्री गिरिजाशंकर शर्मा, सदस्य की होशंगाबाद या इटारसी में ट्रामा सेन्टर खोले जाने तथा

(10) श्री आरिफ अकील, सदस्य की भोपाल नगर में नगर निगम द्वारा जल दर में वृद्धि किये जाने

संबंधी याचिकाएं पढ़ी हुई मानी गईं।

9. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह, राज्यमंत्री, लोक सेवा प्रबंधन ने मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 18 सन् 2011) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया।

(2) श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) संशोधन विधेयक, 2011 (क्रमांक 19 सन् 2011) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया।

(3) श्री कन्हैयालाल अग्रवाल, राज्यमंत्री, सामान्य प्रशासन ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय विधेयक, 2011 (क्रमांक 3 सन् 2011) पर विचार किया जाय.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, उप नेता प्रतिपक्ष
(2) श्री केदारनाथ शुक्ल
(3) श्री पारस सकलेचा
(4) श्री रामलखन सिंह

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हरवंश सिंह) पीठासीन हुए।

(5) श्री राधेश्याम पाटीदार
(6) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(विधेयक पर खण्डशः विचारोपरान्त)

श्री कन्हैयालाल अग्रवाल, राज्यमंत्री, सामान्य प्रशासन ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय विधेयक, 2011 (क्रमांक 3 सन् 2011) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ।

10. अध्यक्षीय घोषणा

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि उन्होंने मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 18 सन् 2011) एवं मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) संशोधन विधेयक, 2011 (क्रमांक 19 सन् 2011) की महत्ता एवं उपादेयता को दृष्टिगत रखते हुए स्थायी आदेश की कंडिका 24 तथा विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 65 के परन्तुक में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं को शिथिल कर आज ही सदन में पुरःस्थापन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने तथा उन पर विचार किये जाने की अनुमति प्रदान की है।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

11. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमशः)

(4) श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह, राज्यमंत्री, लोक सेवा प्रबंधन ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 18 सन् 2011) पर विचार किया जाय.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री श्रीकांत दुबे

(2) श्री विश्वास सारंग

(3) श्री सुरेन्द्र सिंह गहरवार

श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह, राज्यमंत्री, लोक सेवा प्रबंधन ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(विधेयक पर खण्डशः विचारोपरान्त)

श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह, राज्यमंत्री, लोक सेवा प्रबंधन ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 18 सन् 2011) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

12. सम्पत्ति-विवरण का पटल पर रखा जाना

श्रीमती अर्चना चिटनीस, स्कूल शिक्षा मंत्री द्वारा अपनी एवं परिवार की सम्पत्ति का विवरण पटल पर रखा गया।

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हरवंश सिंह) पीठासीन हुए।

13. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमशः)

(5) श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) संशोधन विधेयक, 2011 (क्रमांक 19 सन् 2011) पर विचार किया जाय.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री के.पी. सिंह

(2) श्री पारस सकलेचा

(3) श्री रामलखन सिंह

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(विधेयक पर खण्डशः विचारोपरान्त)

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) संशोधन विधेयक, 2011 (क्रमांक 19 सन् 2011) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

14. सम्पत्ति-विवरण का पटल पर रखा जाना

श्री अजय विश्नोई, पशुपालन मंत्री द्वारा अपनी एवं परिवार की सम्पत्ति का विवरण पटल पर रखा गया।

15. अशासकीय संकल्प

(1) श्री खटीक रमेश प्रसाद, सदस्य ने यह संकल्प प्रस्तुत किया कि -"सदन का यह मत है कि प्रदेश के जिलों में पदस्थ वहां के मूल निवासी पटवारियों की पद स्थापनाएं उनके मूल निवास की तहसील में से अन्यत्र की जायें ".

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री खटीक रमेश प्रसाद
(2) राव देशराज सिंह यादव
(3) श्री बाबूलाल वर्मा
(4) श्रीमती लक्ष्मीदेवी खराड़ी

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

सदन की अनुमति से संकल्प वापस हुआ।

(2) श्री के.पी. सिंह, सदस्य ने यह संकल्प प्रस्तुत किया कि -"सदन का यह मत है कि 250 से अधिक जनसंख्या वाले मजरे टोलों को ग्राम घोषित किया जाय ".

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री के.पी. सिंह
(2) श्री गोविन्द सिंह राजपूत
(3) श्री श्रीकांत दुबे

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

सदन की अनुमति से संकल्प वापस हुआ।

(3) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, उप नेता प्रतिपक्ष एवं डॉ. कल्पना परूलेकर, सदस्य ने यह संकल्प प्रस्तुत किया कि- "सदन का यह मत है कि मध्यप्रदेश में कृषि उपयोग की भूमि पर उद्योग स्थापित करने हेतु पूर्णतः पाबंदी लगाई जाये".

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, उप नेता प्रतिपक्ष

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से अशासकीय संकल्पों पर कार्यवाही पूर्ण होने तक समय में वृद्धि की गई)

(2) राव देशराज सिंह यादव
(3) श्री बिसाहूलाल सिंह

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

सदन की अनुमति से संकल्प वापस हुआ।

(4) श्री प्रताप ग्रेवाल, सदस्य का अशासकीय संकल्प -"यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि वरिष्ठ नागरिकों के लिये रेल में पृथक कोच की व्यवस्था की जाय", उनकी अनुपस्थितिवश प्रस्तुत नहीं किया गया।

16. समितियों का निर्वाचन

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि लोक लेखा, प्राक्कलन, सरकारी उपक्रमों संबंधी एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समितियों के लिए क्रमश: ग्यारह-ग्यारह-ग्यारह तथा पन्द्रह सदस्यों के निर्वाचन के सिलसिले में घोषित कार्यक्रमानुसार, नाम वापसी के पश्चात् संबंधित समितियों के लिए जितने सदस्य निर्वाचित किए जाने हैं उतने ही उम्मीदवार शेष हैं। अत: उक्त समितियों के लिए निम्नानुसार सदस्यों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया :-

(1) लोक लेखा समिति के लिए 11 सदस्यों का निर्वाचन

1. श्री अहिरवार रामदयाल
2. श्री कमल पटेल
3. श्री जुगुल किशोर
4. श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति
5. श्री प्रेमनारायण ठाकुर
6. श्री बृजेन्द्र सिंह
7. डॉ. भानु राना
8. श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा
9. श्री यशपाल सिंह सिसोदिया
10. श्री लक्ष्मण तिवारी
11. श्री हितेन्द्र सिंह सोलंकी

श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

(2) प्राक्कलन समिति के लिए 11 सदस्यों का निर्वाचन

1. श्री अभय कुमार मिश्रा
2. श्री कुंवर सिंह टेकाम
3. श्री केदारनाथ शुक्ल
4. श्री दीपक कैलाश जोशी
5. श्री पारस सकलेचा
6. डॉ. प्रभुराम चौधरी
7. श्री ब्रजमोहन धूत
8. श्री बालाराम बच्चन
9. श्री यादवेन्द्र सिंह
10. श्री राकेश शुक्ला
11. श्री सुदर्शन गुप्ता

श्री केदारनाथ शुक्ल, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

(3) सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के लिए 11 सदस्यों का निर्वाचन

1. श्री अलकेश आर्य
2. श्री ओमप्रकाश वीरेन्द्र कुमार सकलेचा
3. श्री ताराचन्द बावरिया
4. श्रीमती नीता पटेरिया
5. श्री ब्रजराज सिंह
6. श्री बिसाहूलाल सिंह
7. श्री खटीक रमेश प्रसाद
8. श्री रामनिवास रावत
9. श्री रामलखन सिंह
10. श्री शरद जैन
11. श्री ज्ञान सिंह

श्री ओमप्रकाश वीरेन्द्र कुमार सकलेचा, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

(4) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिए 15 सदस्यों का निर्वाचन

1. श्री आशाराम अहिरवार
2. श्री अंतर सिंह आर्य
3. श्री कमलेश जाटव
4. श्री तुलसीराम सिलावट
5. श्री देवी सिंह पटेल
6. श्री नारायण सिंह पट्टा
7. डॉ. निशिथ पटेल
8. इंजी. प्रदीप लारिया
9. श्री पांचीलाल मेड़ा
10. डॉ. बाबूलाल वर्मा
11. श्री मनीराम धाकड़
12. श्री रामखेलावन पटेल
13. राव देशराज सिंह यादव
14. श्रीमती शशि ठाकुर
15. श्री संजय शाह मकड़ाई

श्री अंतर सिंह आर्य, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

17. नामनिर्दिष्ट समितियों की घोषणा

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि मध्यप्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के क्रमशः नियम 203(1), 208(1), 213, 216(1), 224(1), 225(1), 231(2), 232, 233(1), 234-ग तथा 234-घ(2) के अधीन वर्ष 2011-12 एवं नियम 234-ङ (2) के अधीन वर्ष 2011-13 की अवधि में सेवा करने के लिए, निम्नांकित सभा समितियों हेतु सदस्यों को नाम-निर्दिष्ट करते हुए, नियम 180 के उपनियम (1) के अधीन उनके सभापतियों को एतद् द्वारा नियुक्त किया जाता है:-

(1) कार्य मंत्रणा समिति

1. श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री
2. श्री बाबूलाल गौर, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री
3. डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री
4. श्री राघवजी, वित्त मंत्री
5. श्री कैलाश विजयवर्गीय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री
6. चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, उप नेता प्रतिपक्ष
7. श्री गोपाल भार्गव, पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री
8. श्री अनूप मिश्रा
9. श्री केदारनाथ शुक्ल
10. श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा
11. श्री अजय सिंह
12. श्री हुकुम सिंह कराड़ा
13. श्री रामलखन सिंह
14. श्री लक्ष्मण तिवारी

अध्यक्ष, मध्यप्रदेश विधान सभा इस समिति के सभापति होंगे।

(2) गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

1. श्रीमती ललिता यादव
2. श्री आत्माराम पटेल
3. श्री सुरेन्द्र सिंह गहरवार
4. श्री नरेन्द्र त्रिपाठी
5. श्री मूल सिंह
6. श्री उमंग सिंघार
7. श्री अनारभाई वास्कले

श्रीमती ललिता यादव, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

(3) याचिका समिति

1. श्री मोती कश्यप
2. श्री भगत सिंह नेताम
3. श्री रामलल्लू वैश्य
4. इंजी. लड्डूराम कोरी
5. श्री बालकृष्ण पाटीदार
6. श्री रामराव कवड़ेती
7. श्री प्रहलाद भारती
8. श्री विजेन्द्र सिंह मलाहेडा
9. श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर
10. श्री सुनील जायसवाल
11. श्री परसराम मुद्गल

श्री मोती कश्यप, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

(4) प्रत्यायुक्त विधान समिति

1. श्री शैलेन्द्र कुमार जैन
2. श्री माखनलाल राठौर
3. श्री जमना सिंह सोलंकी
4. श्री मोतीलाल तिवारी
5. श्री चम्पालाल देवड़ा
6. श्री सुन्दर सिंह
7. श्री रामप्यारे कुलस्ते
8. श्री विश्वेश्वर भगत
9. श्रीमती गंगाबाई उरैती
10. श्री पुरूषोत्तम दांगी
11. श्री मदन कुशवाह

श्री शैलेन्द्र कुमार जैन, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

(5) शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति

1. श्री गिरीश गौतम
2. श्री शांतिलाल धबाई
3. श्री बलीसिंह मरावी
4. श्री जसवंत सिंह हाड़ा
5. श्री लोकेन्द्र सिंह तोमर
6. श्री राजेश कुमार वर्मा
7. श्री गौतम टेटवाल
8. श्री धरमू सिंह सिरसाम
9. श्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव
10. श्री प्रताप ग्रेवाल
11. श्री अजय यादव

श्री गिरीश गौतम, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

(6) विशेषाधिकार समिति

1. श्री नागेन्द्र सिंह (गुढ़)
2. श्री प्रेम सिंह पटेल
3. श्री रामचरित्र
4. श्री शंकरलाल तिवारी
5. श्री राजेन्द्र श्यामलाल दादू
6. श्री संतोष जोशी
7. श्री संजय पाठक
8. श्री नारायण प्रजापति
9. श्री श्रीकांत दुबे
10. श्री सुरेन्द्र पटवा

श्री नागेन्द्र सिंह (गुढ़), सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

(7) नियम समिति

1. डॉ. नरोत्तम मिश्रा, विधि एवं विधायी कार्य मंत्री
2. श्री रमेश मेन्दोला
3. श्री विश्वामित्र पाठक
4. श्री मोहन शर्मा
5. श्री जितेन्द्र डागा
6. श्री जीतु जिराती
7. श्री ठाकुरदास नागवंशी
8. श्री हेमराज कल्पोनी
9. श्री आरिफ अकील
10. श्री सुखदेव पांसे

अध्यक्ष, मध्यप्रदेश विधान सभा इस समिति के सभापति होंगे।

(8) सदन समिति

1. श्री हरेन्द्रजीत सिंह
2. श्री विजयपाल सिंह
3. श्री दिलीप जायसवाल
4. श्री अरविन्द सिंह भदौरिया
5. श्री खुमान सिंह शिवाजी
6. श्री रामलाल मालवीय
7. श्री सुरेश चौधरी

श्री हरेन्द्रजीत सिंह, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

(9) पुस्तकालय समिति

1. श्री सुदामा सिंह सिग्राम
2. श्रीमती पन्नाबाई प्रजापति
3. श्रीमती गीता रामजीलाल उइके
4. श्री चेतराम मानेकर
5. श्री भैयाराम पटेल
6. श्री हरीसिंह रघुवंशी
7. श्री रामकिशोर कांवरे
8. श्री रोडमल राठौर
9. कुंवर विक्रम सिंह
10. श्री भगवान सिंह राजपूत
11. श्री जेबियर मेड़ा
12. श्री एदल सिंह कंसाना
13. श्री शिवनारायण मीना

श्री सुदामा सिंह सिग्राम, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

(10) पटल पर रखे गये पत्रों का परीक्षण करने संबंधी समिति

1. श्री देवेन्द्र वर्मा
2. श्री धूलसिंह डाबर
3. श्री राधेश्याम पाटीदार
4. श्री लालजीराम मालवीय
5. राव राजकुमार सिंह यादव
6. श्री हरीसिंह सप्रे
7. श्री रमेश दिलीप भटेरे
8. श्री अरूणोदय चौबे
9. श्री लखन घनघोरिया
10. श्री प्रियव्रत सिंह
11. श्री सूर्यप्रकाश मीना

श्री देवेन्द्र वर्मा, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

(11) प्रश्न एवं संदर्भ समिति

1. श्री गिरिजाशंकर शर्मा
2. श्री शिवमंगल सिंह तोमर
3. श्री देवेन्द्र कुमार जैन
4. श्री विश्वास सारंग
5. श्री ध्रुवनारायण सिंह
6. श्री रणजीत सिंह गुणवान
7. श्री गिरिराज किशोर पोद्दार
8. श्रीमती साधना स्थापक
9. श्री गोविन्द सिंह राजपूत
10. डॉ. कल्पना परूलेकर
11. श्री ब्रह्मानन्द रत्नाकर

श्री गिरिजाशंकर शर्मा, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

(12) महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति

1. सुश्री मीना सिंह
2. श्रीमती नन्दनी मरावी
3. श्रीमती प्रतिभा सिंह
4. श्रीमती नीना विक्रम वर्मा
5. श्रीमती मालिनी सिंह गौड़
6. श्रीमती उमादेवी खटीक
7. डॉ. (श्रीमती) विनोद पंथी
8. श्रीमती सुलोचना रावत
9. श्रीमती इमरती देवी
10. श्रीमती लक्ष्मीदेवी खराड़ी
11. श्रीमती एल.बी. लोबो

सुश्री मीना सिंह, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

18. राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर के प्रबंध मंडल का निर्वाचन

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर के प्रबंध मंडल के लिए राज्य विधान सभा के तीन सदस्यों के निर्वाचन के संबंध में घोषित किए गए कार्यक्रमानुसार नाम वापसी के पश्चात् केवल तीन उम्मीदवार शेष हैं। चूंकि प्रबंध मंडल के लिए केवल तीन सदस्य ही निर्वाचित किए जाने हैं अतः निम्नानुसार सदस्यों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया है :-

1. श्री अरविन्द सिंह भदौरिया
2. श्री प्रहलाद भारती
3. श्री लाखन सिंह यादव

19. नियम 239 के अंतर्गत विशेषाधिकार भंग की विचाराधीन सूचनाएं

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि उनके समक्ष निम्नांकित विशेषाधिकार भंग की सूचनाएं विचाराधीन हैं:-

1. डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य द्वारा श्री इंद्रवीर सिंह चौहान नगर निरीक्षक, थाना लहार, जिला भिण्ड के विरूद्ध।
2. सर्वश्री बाबूलाल वर्मा, भगत सिंह नेताम, राम किशोर कावरे, दिलीप जायसवाल एवं विजयपाल सिंह, सदस्यगण विधान सभा द्वारा कांग्रेस के कतिपय सदस्यों के विरूद्ध।
3. चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, उप नेता प्रतिपक्ष एवं श्री प्रेमनारायण ठाकुर, सदस्य द्वारा श्री सिद्धार्थ गुप्ता, एडवोकेट, राष्ट्रीय अध्यक्ष, निर्धन निःशुल्क कानूनी सहायता समिति एवं राज एक्सप्रेस के संवाददाता के विरूद्ध।
4. श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, सदस्य द्वारा श्री सिद्धार्थ गुप्ता एडवोकेट, राष्ट्रीय अध्यक्ष, निर्धन निःशुल्क कानूनी सहायता समिति एवं राज एक्सप्रेस के संवाददाता के विरूद्ध।
5. श्री हरेन्द्र जीत सिंह, सदस्य द्वारा श्री सिद्धार्थ गुप्ता एडवोकेट, राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्धन निःशुल्क, कानूनी सहायता समिति एवं राज एक्सप्रेस के संवाददाता के विरूद्ध।
6. श्री अभय कुमार मिश्रा, सदस्य द्वारा मण्डी बोर्ड के कतिपय अधिकारियों के विरूद्ध।
7. श्री भगवान सिंह राजपूत, सदस्यद्वारा बरेली, जिला रायसेन के कतिपय अधिकारियों के विरूद्ध।
8. श्री पुरूषोत्तम दांगी, सदस्य द्वारा बरेली, जिला-रायसेन के कतिपय अधिकारियों के विरूद्ध।

20. नियम 169 के अंतर्गत विशेषाधिकार समिति को सौंपी गई सूचनाएं

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि उन्होंने निम्नांकित विशेषाधिकार भंग की सूचनाओं को परीक्षणोपरांत जांच, अनुसंधान एवं प्रतिवेदन हेतु विशेषाधिकार समिति को सौंपा है :-

1. सर्वश्री विश्वास सारंग, आरिफ अकील, रामनिवास रावत, लखन घनघोरिया, ध्रुवनारायण सिंह, हेमराज कल्पोनी, जितेन्द्र डागा, सदस्यगण तथा श्री उमाशंकर गुप्ता, गृह मंत्री तथा डॉ. कल्पना परूलेकर एवं डॉ. निशिथ पटेल, सदस्यगण द्वारा भोपाल से प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र राज एक्सप्रेस के संपादक श्री अरूण सहलोत एवं संवाददाता श्री रविन्द्र जैन के विरूद्ध।
2. श्रीमती ललिता यादव, सदस्य द्वारा श्री पांचीलाल मेड़ा, सदस्य विधान सभा के विरूद्ध।
3. श्री गिरिजाशंकर शर्मा, श्रीमती नीता पटेरिया, सर्वश्री मोती कश्यप एवं अंतर सिंह आर्य, सदस्यगण द्वारा डॉ. कल्पना परूलेकर, सदस्य के विरूद्ध।
4. श्रीमती प्रतिभा सिंह, श्रीमती नीना विक्रम वर्मा, श्रीमती ललिता यादव, श्रीमती नीता पटेरिया एवं श्री संतोष जोशी, सदस्यगण द्वारा डॉ. कल्पना परूलेकर, सदस्य के विरूद्ध।

अध्यक्ष महोदय द्वारा इन सूचनाओं पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु अगले सत्र तक के लिए समय में वृद्धि की गई।

21. सत्र का समापन

अध्यक्ष महोदय द्वारा सत्र समापन के अवसर पर, निम्नानुसार उद्‌गार व्यक्त किये गये :-

"मध्यप्रदेश की तेरहवीं विधान सभा का यह नवम् सत्र अब समापन की ओर है। 40 दिवसीय इस सत्र में सदन की 24 बैठकें हुई तथा भोजनावकाश स्थगित कर और अतिरिक्त समय बैठकर कामकाज निपटाया गया। इस सत्र में अनेक विधायी, वित्तीय और लोक महत्व के कार्य सम्पन्न हुए। सदन ने वर्ष 2010-11 की तृतीय अनुपूरक मांगों को स्वीकृति प्रदान की वहीं वर्ष 2011-12 के आय-व्ययक की अनुदान मांगे स्वीकृत की गई। इस सत्र में प्रश्नों की कुल 7553 सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिनमें 4509 तारांकित एवं 3044 अतारांकित प्रश्न थे। ध्यानाकर्षण की 124 (48 समामेलित) सूचनाएं सदन में प्रस्तुत की गईं। इस सत्र में एक स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा हुई। सदन ने 8 अशासकीय संकल्प पारित किए, कुल 734 याचिकाएं प्राप्त हुई। सत्र में कुल 19 शासकीय विधेयक पारित किए गए। अनेक सभा समितियों के प्रतिवेदन भी सभा में प्रस्तुत किए गए।

संसदीय कार्यवाही सत्तापक्ष और विपक्ष के सहयोग के बिना संचालित नहीं हो सकती। इस सत्र में सत्ता पक्ष के सदस्यों तथा मंत्रियों ने जहां अपने दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन किया, वहीं विपक्ष के माननीय सदस्यों ने भी अपने कर्तव्यों को पूरी सजगता और समर्थता के साथ अंजाम दिया। लोकतंत्र में सहमति-असहमति, पारस्परिक सम्मान एवं संवाद के गुण निहित होते हैं। इस सत्र में विभिन्न अवसरों पर ये गुण चरितार्थ हुए। जहां पक्ष ने विपक्ष की बातों को मान दिया, वहीं विपक्ष ने भी सत्ता पक्ष की प्रशंसा की। मैं समझता हूँ कि संसदीय लोकतंत्र की यही सफलता है और ऐसा विधान सभा में ही होता है। निश्चित रूप से, यह सब हम लोगों के लिए गर्व की बात है।

मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इस सत्र में कुछ नई अनुभूतियां परिलक्षित हुई हैं। जो माननीय सदस्य पहली बार इस सदन में सदस्य के रूप में आये हैं, उनके द्वारा जिस गम्भीरता, रूचि एवं लगन से सत्र के कार्यों में हिस्सा लिया गया है तथा जनता की समस्याओं को जिस ढंग से उठाया गया है, उससे यह स्पष्ट होता है कि उनमें संसदीय कार्यों के प्रति परिपक्वता बहुत बढ़ रही है। यह जनता के प्रति उनकी जो जिम्मेदारी है, उसे निभाने के लिए उनकी लगन को प्रदर्शित करती है। हमारी संसदीय व्यवस्था की यही विशेषता है कि इसमें जनप्रतिनिधि सदन के माध्यम से जनसमस्याओं को उठाकर, जनता के हित में उनका निराकरण कराना चाहते हैं। निश्चित रूप से यह कार्य बड़ी सफलता से हुआ है। अनेक समस्याओं की ओर जिन माननीय सदस्यों ने इंगित किया था उनका निराकरण हुआ है। यह कार्यपद्धति हमारे प्रजातंत्र को सुदृढ़ करती है और इससे यह भी आभास होता कि हमारे जनप्रतिनिधि जागरूकता के साथ सदन में अपनी बातों को उठाते हैं जिसके सार्थक परिणाम निकलते हैं।

इस सत्र के संचालन में सहयोग के लिए मैं सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय उप नेता प्रतिपक्ष, सभापति तालिका के सदस्यगण और सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ। मैं प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े सभी महानुभावों को भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने पूरी सजगता के साथ अपने दायित्वों का निर्वाह करते हुए सदन की कार्यवाही को आम जन तक पहुँचाया। मैं विधान सभा सचिवालय, शासन के अधिकारियों तथा सुरक्षाकर्मियों को भी उनके सहयोग के लिए धन्यवाद् देता हूँ। अगले सत्र में हम सब पुनः समवेत होंगे। मैं अपनी ओर से आप सबको और पूरे सदन की ओर से प्रदेशवासियों को गुड़ी पड़वा, चैती-चाँद एवं रामनवमी पर्व की शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद् ।"

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, श्री गोपाल भार्गव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, उप नेता प्रतिपक्ष, श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, सदस्य, श्री हरवंश सिंह, उपाध्यक्ष महोदय, सर्वश्री रामलखन सिंह एवं पारस सकलेचा, सदस्यगण ने भी समापन अवसर पर अपने विचार व्यक्त किए।

22. राष्ट्रगान

सदन में माननीय सदस्यगण द्वारा खड़े होकर राष्ट्रगान **"जन-गण-मन"** का समूह गान किया गया।

अपराह्न 6.15 बजे विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई।

डॉ. ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 1 अप्रैल, 2011